न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2026
प्रविष्टि दिनांक 05.01.2026
जीसीएमएसं नं. 01/2026

1.सोहन लाल पुत्र रामरूप मीना निवासी जलसीना, तहसील दूनी जिला टोंक राज.
2. ब्रहमा पुत्र रामरूप मीना निवासी जलसीना, तहसील दूनी जिला टोंक राज.
3. भंवरलाल पुत्र रामरूप मीना निवासी जलसीना, तहसील दूनी जिला टोंक राज.

.....अपीलांटस

बनाम

नायब तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार दूनी निर्णय दिनांक 30.10.2025 पत्रावली सं. 105/2025

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 30/4/26

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 485 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाके ग्राम जलसीना तहसील दूनी पर कब्जा कर अतिक्रमण करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांटा को भूमि से बेदखल करने, निर्धारित लगान 1.00 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 50 रू. जमा कराने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील में अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी। बिना तामील के अपीलान्टस को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित करने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही अपीलान्टस के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया। जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ नायब तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा है अथवा नहीं, कब्जा साबित होने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाता।

अपीलांटस का उक्त आराजी पर कोई पश्चातवर्ती कब्जा भी साबित नहीं है। अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष जो पटवारी द्वारा जो बयान लेखबद्ध कराये गये है वे एक फॉरमेट में नाम पते भर कर दिये गये है ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होते है तथा नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्टस को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्टस का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।

उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्टस ने अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्टस का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांटस को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है। अपीलान्टस ने आराजी खसरा नम्बर 485 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाके ग्राम जलसीना तहसील दूनी पर संवत् 2082 फसल खरीफ में मिर्च की फसल बुवाई कर कर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया था। उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म चरागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सावजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। पटवारी हलका की रिपोर्ट से यह भी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्टस का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्टस व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्टस ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार दूनी से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार दूनी ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 133 दिनांक 23.02.2026 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कब्जा काश्त नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 30.10.2025 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांटस को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांटस को हिदायत दी जाती हैं कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति. जिला कलेक्टर,
टोंक